

**उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन)
अधिनियम, 1953**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953)

**UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF
SUPPLY AND PURCHASE) ACT, 1953**

(U.P. Act No. XXIV of 1953)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953¹

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 24, 1953]

उ० प्र० अधिनियम सं० 21, 1956
उ० प्र० अधिनियम सं० 3, 1960
उ० प्र० अधिनियम सं० 34, 1961
उ० प्र० अधिनियम सं० 6, 1962
उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 1964
उ० प्र० अधिनियम सं० 11, 1966
उ० प्र० अधिनियम सं० 6, 1971
उ० प्र० अधिनियम सं० 2, 1972
उ० प्र० अधिनियम सं० 7, 1974
उ० प्र० अधिनियम सं० 28, 1974
उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 1976
उ० प्र० अधिनियम सं० 34, 1976
उ० प्र० अधिनियम सं० 30, 1979
उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 2006
उ० प्र० अधिनियम सं० 33, 2007
उ० प्र० अधिनियम सं० 22, 2008
उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 2008
उ० प्र० अधिनियम सं० 08, 2019
उ० प्र० अधिनियम सं० 19, 2020
उ० प्र० अधिनियम सं० 05, 2021
उ० प्र० अधिनियम सं० 38, 2021

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 अगस्त, 1953 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 सितम्बर, 1953 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 5 अक्टूबर, 1953 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 9 अक्टूबर, 1953 ई० को प्रकाशित हुआ।]

चीनी की शक्करियां तथा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद के विनियम का

अधिनियम

चीनी की शक्करियों तथा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों प्रस्तावना में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद एवं अन्य सम्बद्ध विषयों का विनियमन करना आवश्यक है ;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 15 जुलाई, 1953 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

2. उ० प्र० अधि० सं० 3, 1960 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम,
प्रसार और
प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त लागू होगा।

2—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर —

परिभाषाएँ

(क) "अभ्यर्पित क्षेत्र (assigned area)" का तात्पर्य धारा 15 के अधीन फैक्टरी के निमित्त अभ्यर्पित क्षेत्र से है ;

(ख) 1[* * * *]

(ग) "गन्ना" का तात्पर्य फैक्टरी 2[अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] में प्रयोग के लिये उद्दिष्ट गन्ने से है ;

(घ) "गन्ना कमिश्नर (Cane Commissioner)" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन नियुक्त गन्ना कमिश्नर (Cane Commissioner) से है और इसके अन्तर्गत धारा 10 के अधीन नियुक्त अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर (Additional Cane Commissioner) भी है ;

(ङ) "गन्ना उत्पादक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो या तो अपने आप या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा, अथवा भाड़े की मजदूरी से गन्ने की खेती करता हो, किन्तु गन्ना उत्पादकों को सहकारी समिति का सदस्य न हो ;

(च) "गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी समिति से है, जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 के अधीन रजिस्टर्ड हो और जिसका एक उद्देश्य यह भी हो कि वह अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित गन्ने को बेचे और इसके अन्तर्गत उक्त समितियों का, उक्त ऐक्ट की धारा 8 के अधीन रजिस्टर्ड संघ भी है ;

(छ) "कलेक्टर" के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के हेतु नियुक्त करे ;

(ज) "परिषद् (Councel)" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन स्थापित गन्ना विकास परिषद् (Cane Development Council) से है ;

(झ) "पेराई का मौसम" का तात्पर्य 3[किसी भी वर्ष में उस अवधि से है, जो 1 अक्टूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली 15 जुलाई को समाप्त हो ;]

4[(झ-1) "इथेलन का तात्पर्य सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे या दोनों से उत्पादित न्यूनतम निम्नावे प्रतिशत शक्ति का एनहाइड्रस एथाइल एल्कोहल से है;

स्पष्टीकरण—जब कोई शक्कर कारखाना सीधे गन्ने का रस या ख-भारी शीरे से इथेनल का उत्पादन करता है, तो ऐसी चीनी फैक्ट्री के मामले में वसूली की दर का निर्धारण इस प्रकार उत्पादित प्रत्येक छह सौ लीटर इथेनल को एक टन शक्कर के उत्पादन के बराबर विचार करके किया जायेगा।

5[(ज) "फैक्टरी" का तात्पर्य ऐसे गृहादि से है, जिसके अन्तर्गत अहाते भी है, जिसमें 20 या 20 से अधिक श्रमिक काम करते हों या पिछले 12 महीनों में किसी दिन काम किये हों और जिसके किसी भाग में शक्कर के उत्पादन से सम्बद्ध विनिर्माण प्रक्रिया (manufacturing process) निर्वात कड़ाह प्रक्रिया द्वारा होती हो या इथेनल की विनिर्माण प्रक्रिया यथास्थिति, सीधे गन्ने के रस से या शीरे से, जिसके अन्तर्गत ख-भारी शीरा भी है या दोनों से हो रही हो या समान्यतया यन्त्रचालित शक्ति द्वारा होती हो।;

1. उ० प्र० अधि० सं० 17, 2006 की धारा 3 द्वारा निकाला गया।

2. उ० प्र० अधि० सं० 4, 1964 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाये गये।

3. उ० प्र० अधि० सं० 6, 1971 की धारा 2 द्वारा रखे गये।

4. उ० प्र० अधि० सं० 23, 2008 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया।

5. उ० प्र० अधि० सं० 23, 2008 की धारा 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

1[(ज-1) "गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" का तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जो किसी सुरक्षित क्षेत्र में गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हों और जो यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो ;]

2[(ज-2) "निरीक्षक" का तात्पर्य धारा 11 के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति या पदयुक्त किसी अधिकारी से है ;]

3[(ट) किसी फैक्ट्री अथवा गुड़, राब या खण्डसारी शक्कर बनाने वाली किसी इकाई के संबंध में, "अध्यासी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति (जिसमें कोई कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय भी शामिल है) अथवा प्राधिकारी से है जिसके स्वामित्व में ऐसी फैक्ट्री या इकाई हो अथवा जिसकी ऐसी फैक्ट्री या इकाई के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो, और यदि उक्त मामले ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के मैनेजिंग एजेन्ट अथवा डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी को सौंपे गये हों, तो इसके अन्तर्गत ऐसा मैनेजिंग एजेन्ट, डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी भी है ।

स्पष्टीकरण—इस बात के होते हुए भी कि फैक्ट्री या इकाई के मामले किसी मैनेजिंग एजेन्ट अथवा डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी को सौंप दिये गये हों, उस व्यक्ति या प्राधिकारी के, जिसके स्वामित्व में ऐसी फैक्ट्री या इकाई हो अथवा जिसका ऐसी फैक्ट्री या इकाई के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो, धारा 17 के अधीन दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

(ठ) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है ;

(ड) 4[* * * *]

5[(ढ) "सुरक्षित क्षेत्र" (reserved area) का तात्पर्य डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स, रूल्स, 1962 के नियम 125—बी के अधीन गन्ना क्षेत्रों के सुरक्षण के लिये दी गई आज्ञा के अधीन किसी फैक्ट्री के लिये सुरक्षित क्षेत्र से है और जब ऐसी कोई आज्ञा प्रचलित न हो, तो धारा 15 के अधीन दी गयी आज्ञा में निर्दिष्ट क्षेत्र से है ;]

(ण) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये नियम से है ;

(त) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ; और

(थ) "चीनी कमिश्नर (Sugar Commissioner)" का तात्पर्य उस अधिकारी से, जो धारा 9 के अधीन चीनी कमिश्नर (Sugar Commissioner) नियुक्त हो 6[और इसमें इसमें धारा 10 के अधीन नियुक्त अतिरिक्त चीनी कमिश्नर भी सम्मिलित है ।]

अध्याय 2

प्रशासन के साधन (Administrative Machinery)

3- 7[X X X X]

-
1. उ० प्र० अधि० सं० 3, 1960 की धारा 3 (1) द्वारा बढ़ाया गया ।
 2. उ० प्र० अधि० सं० 34, 1976 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
 3. उ० प्र० अधि० सं० 7, 1974 की धारा 2 (क) द्वारा रखा गया और सदैव से रखा गया समझा जाय ।
 4. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा निकाला गया ।
 5. उ० प्र० अधि० सं० 4, 1964 की धारा 2 (2) द्वारा 17 अक्टूबर, 1963 से प्रतिस्थापित समझा जाय ।
 6. उ० प्र० अधि० सं० 4, 1964 की धारा 2(3) द्वारा रखे गये ।
 7. उ० प्र० अधि० सं० 17, 2006 की धारा 3 द्वारा निकाला गया ।

4- 1[X X X X]

5-(1) फैक्टरी के सुरक्षित क्षेत्र के लिए एक गन्ना विकास परिषद् (जिसे यहां पर आगे चल कर परिषद् कहा गया है) स्थापित की जाएगी, जो उस क्षेत्र के नाम से अथवा उस नाम से, जो नियत किया जाय एक सततानुक्रम वाली (having perpetual succession) निगमित संस्था (body corporate) होगी और वह किसी ऐसे विरोध या विशेषताओं के अधीन (Subject to such restriction or qualifications) जो इस अधिनियम या किसी दूसरे विधायन के अधीन लगायी जायें, निगमित नाम से वाद प्रस्तुत करने या उस पर वाद प्रस्तुत किए जाने, चल तथा अचल सम्पत्ति उपार्जित करते, रखने, प्रशासित तथा हस्तान्तरित करने तथा संविदा भी करने की क्षमता रखेगी ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब गन्ना कमिश्नर आदेश दे, तो फैक्टरी के लिए सुरक्षित क्षेत्र से बड़े अथवा छोटे क्षेत्र के लिए भी परिषद् की स्थापना की जा सकती है ।

(2) वह क्षेत्र जिसके लिए परिषद् की स्थापना की जाए, भाग (Zone) कहलायेगा ।

2[(3) परिषद् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(i) सम्बद्ध चीनी की फैक्टरी के दो प्रतिनिधि, जो अध्यासी द्वारा नामांकित किए जायेंगे ;

3[(ii) सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के सात प्रतिनिधि, जो ऐसी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा समितियों के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि सात प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा एक प्रतिनिधि अन्य पिछड़ों वर्ग के व्यक्तियों में से होगा तथा एक प्रतिनिधि महिला होगी ;]

(iii) सुरक्षित क्षेत्र में, खंडसारी बनाने वाली लाइसेंस शुद्ध शक्ति चालित इकाइयों का एक प्रतिनिधि जो स्वामियों द्वारा निर्वाचित किया जायगा ;

(iv) जिला गन्ना अधिकारी ;

(v) गन्ना रक्षा निरीक्षक ;

4[(vi) बीज उत्पादक अधिकारी ;

(vii) ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जो पदेन सदस्य—सचिव होगा ।

(3—क) परिषद् के सदस्य 5उपधारा 3 के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट पांच प्रतिनिधियों में से एक व्यक्ति को परिषद् का सभापति निर्वाचित करेंगे ;]

1. उ० प्र० अधि० सं० 17, 2006 की धारा 3 द्वारा निकाला गया ।

2. उ० प्र० अधि० सं० 10, 1976 की धारा 2 (क) द्वारा उपधारायें 3 और (3.क) प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधि० सं० 22, 2008 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उ० प्र० अधि० सं० 30, 1979 की धारा 2 (1) (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

5. उ० प्र० अधि० सं० 30, 1979 की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

1[(4) परिषद् का कार्यकाल सहकारी गन्ना समिति के कार्यकाल का सहविरतारी होगा और इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद परिषद् उपधारा (3) में दिये गये उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जायेगी ।]

(5) परिषद् को तोड़ देने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

(क) 2[सचिव से भिन्न सभापति तथा सभी सदस्य] आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर अपने-अपने पद खाली कर देंगे, किन्तु इससे उनकी सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकन के निमित्त पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा ;

(ख) गन्ना कमिश्नर उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार परिषद् को पुनः संगठित करेंगे ; और

(ग) पुनः संगठित होने तक, परिषद् के कर्तव्यों, अधिकारों तथा कार्यों का पालन, प्रयोग तथा सम्पादन उन प्रतिबन्धों के अधीन तथा उस अवधि में, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, 3[सचिव] करेंगे ।

6—(1) परिषद् के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

परिषद् के कार्य

(क) प्रभाग (Zone) के लिये विकास कार्यक्रम पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना ;

(ख) विकास योजना के सभी आवश्यक अंगों, जैसे गन्ने के विभेद, गन्ने के बीज, बुआई का कार्यक्रम, उर्वरक और खाद के निष्पादन (Execution) के उपाय और साधन का निकलना ;

(ग) प्रभाग (Zone) में सिंचाई तथा अन्य कृषि संबंधी सुविधाओं का विकास करना;

(घ) बीमारियों और कीटाणुओं की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिये आवश्यक कार्यवाही करना एवं भूमि विस्तारकार्य (Soil extension work) के निमित्त सभी संभव सहायता देना ;

(ङ) गन्ने की उत्पत्ति के संबंध में कृषकों को औद्योगिक ;जमबीदपबंसद्ध शिक्षा ;

(च) गन्ना कमिश्नर के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन विकास योजनाओं के निष्पादन के लिये अपने अधीनस्थ निधियों को लगाना ; और

(छ) प्रभाग (Zone) के सामान्य विकास से सम्बद्ध तथा उनके लिये लाभप्रद नियत कार्यों को करना ।

1. उ० प्र० अधि० सं० 22, 2008 की धारा 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधि० सं० 7, 1974 की धारा 4 (ख) (1) द्वारा रखी गयी ।

3. उपर्युक्त की धारा 4 (ख) (2) द्वारा रखा गया ।

(2) राज्य सरकार जिले में सभी परिषदों की वार्षिक बैठक के लिये नियम द्वारा व्यवस्था कर सकती है। इस प्रकार की सभी बैठकों में कलेक्टर प्रधान होंगे।

7-परिषद् का कोई भी आकस्मिक रूप से खाली स्थान (Casual vacancy) जहां तक संभव हो, धारा 5 की उपधारा (3) में बताई गई रीति के अनुसार भरा जायेगा।

आकस्मिक रूप से खाली स्थान (Casual vacancy)

8-(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन तथा कार्यों के सम्पादन के संबंध में परिव्ययों के निमित्त परिषद् के पास एक निधि रहेगी।

परिषद्-निधि

(2) परिषद् की निधि में निम्नलिखित होंगे :—

(क) इण्डियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो ;

(ग) उन दरों के अनुसार जो नियत किये जायें, चीनी की फैक्टरियों, ¹[गुड, राब या खण्डसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों] तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा दिया गया अंशदान ; और

(घ) अन्य कोई धनराशि, जो राज्य सरकार इसे दिलाये।

2[8-क-यदि किसी समय राज्य सरकार का परिषद् के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिषद् ने इस अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का निर्वहन और कर्तव्य का पालन करने में जानबूझ कर व्यतिक्रम किया है तो वह विज्ञप्ति द्वारा परिषद् का ऐसी अवधि के लिये जो विनिर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकती है, और अतिक्रमण की अवधि में परिषद् के कृत्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करने के लिये ऐसा प्रबन्ध करेगी जैसा वह उचित समझी।]

परिषद् का अतिक्रमण

3[8-ख-(1) यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी गन्ना विकास परिषद के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जायगा तथा उस पर कार्यवाही की जायेगी।

सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

(2) जब सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जायेगा, तब वह तत्काल पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसका उत्तरवर्ती, निर्वाचित उत्तराधिकारी होगा, जो इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3-क) के अनुसार निर्वाचित किया जाएगा।]

9-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार —

(क) चीनी कमिश्नर ; तथा

(ख) गन्ना कमिश्नर,

चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर

की नियुक्ति कर सकती है, जो इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन तथा प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में कोई भी बात राज्य सरकार को एक ही व्यक्ति को चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर के पद पर नियुक्त करने से न रोकेगी।

1. उ० प्र० अधि० सं० 3, 1960 की धारा 6 द्वारा अन्तर्विष्ट।

2. उ० प्र० अधि० सं० 10, 1976 की धारा 3 द्वारा अन्तर्विष्ट।

3. उ० प्र० अधि० सं० 19, 2020 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।

1[10]—राज्य सरकार किसी व्यक्ति या किसी सरकारी अधिकारी को अतिरिक्त, उप अथवा सहायक गन्ना/चीनी कमिश्नर उप अथवा सहायक गन्ना कमिश्नर या अतिरिक्त, उप अथवा सहायक चीनी कमिश्नर नियुक्त या नामोदिष्ट कर सकती है।]

अतिरिक्त उप
अथवा सहायक
गन्ना चीनी
कमिश्नर

11—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त राज्य सरकार किसी व्यक्ति को निरीक्षक के रूप में नियुक्त अथवा सरकार के ऐसे अधिकारियों को पदयुक्त, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसी स्थानिक सीमाओं के निमित्त जो उन्हें अभ्यर्पित (Assigned) की जाय, कर सकती है।

निरीक्षक

(2) निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन तथा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगा।

अध्याय 3

गन्ने की पूर्ति या खरीद

12—(1) गन्ना कमिश्नर, धारा 15 के प्रयोजनों के लिये आज्ञा द्वारा फैक्टरी के अध्यासी (Occupier) को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट रीति में तथा निर्दिष्ट दिनांक तथा गन्ने के उस अनुमानित परिमाण को उसे बतलावे, जो फैक्ट्री की पेराई के ऐसे मौसम ²[या पेराई के मौसमों] के लिये अपक्षित होगा, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाएं।

आवश्यकताओं
का अनुमान

(2) गन्ना कमिश्नर उक्त अनुमानित परिमाण की परीक्षा करेगा और ऐसे परिष्कार के साथ, जिसे वह करे, उसे प्रकाशित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अनुसार प्रकाशित अनुमानित परिणाम ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो नियत किया जाय, पुनरावलोकित (Revised) किया जा सकता है।

13—(1) फैक्टरी का अध्यासी नियत किए गए प्रकार से उन सभी गन्ना उत्पादकों व गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों या समिति का रजिस्टर रखेगा, जो कि उक्त फैक्टरी को गन्ना बेचेगी।

गन्ना उत्पादकों
व गन्ना
उत्पादकों की
सहकारी समिति
या समितियों का
रजिस्टर

(2) राज्य सरकार नियमों द्वारा निम्न प्रयोजनों को नियत कर सकती है —

(क) रजिस्टर में दर्ज सूत्रों (Entries) को सही करना तथा नये सूत्रों को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाना ;

(ख) इस प्रकार रजिस्टर में सही किए गए अथवा बढ़ाये गये सूत्रों के संबंध में मूल्य निश्चित करना तथा उक्त मूल्य के भुगतान की प्रक्रिया को नियत करना ;

(ग) निर्धारित मूल्य पर रजिस्टर में दर्ज सूत्रों की प्रतिलिपि देने की व्यवस्था करना।

14—(1) राज्य सरकार धारा 15 के प्रयोजनों के लिये आज्ञा द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है :—

पैमायश इत्यादि
का अधिकार

(क) किसी फैक्टरी के निमित्त गन्ने की पूर्ति के हेतु सुरक्षित किये जाने वाले अथवा अभ्यर्पित किये जाने वाले क्षेत्र की पैमायश और ऐसे पैमायश के व्यय की फैक्टरी के अध्यासी से वसूली ;

1. उ० प्र० अधि० सं० 4, 1964 की धारा 4 द्वारा रखा गया।

2. उ० प्र० अधि० सं० 21, 1956 की धारा 2 द्वारा रखे गये।

(ख) उक्त पैमायश के प्रयोजनों के निमित्त किसी अधिकारी की नियुक्ति, उसके कर्तव्य तथा अधिकार ;

(ग) प्रक्रिया, जिसके अनुसार उक्त पैमायश की जायगी ; और

(घ) खंड (ख) के अनुसार नियुक्त अधिकारी की क्षेत्र में भूमि के स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा दी जाने वाली सहायता और सुविधायें ;

(ङ) ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक विषय, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय हों ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार फैक्टरी के अध्यासी द्वारा देय धनराशि अध्यासी से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जायगी ।

15—धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन दी हुई आज्ञा पर बिना विपरीत प्रभाव डाले —

सुरक्षित क्षेत्रों तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों का प्रख्यापन

(1) ¹[एक या एकाधिक पेराई के मौसम या मौसमों के भीतर, जो निर्दिष्ट किये जायें] धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार फैक्टरी को गन्ने की पूर्ति के प्रयोजन से गन्ना कमिश्नर, उस रीति से, जो नियत की जाय, फैक्टरी तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के परामर्श के पश्चात्—

(क) किसी भी क्षेत्र को (जिसे वहां पर जाने चल कर सुरक्षित क्षेत्र कहा गया है) सुरक्षित कर सकता है ;

(ख) किसी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चल कर अभ्यर्पित क्षेत्र कहा गया है) अभ्यर्पित कर सकता है तथा किसी भी समय उसी प्रकार ऐसी आज्ञा को निरस्त कर सकता है अथवा इस प्रकार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र की चौहद्दी में परिवर्तन कर सकता है ।

(2) यदि कोई क्षेत्र किसी फैक्टरी के लिये सुरक्षित क्षेत्र प्रख्यापित कर दिया गया हो तो, फैक्टरी के अध्यासी (Occupier) को, यदि गन्ना कमिश्नर ऐसा आदेश दे, उक्त क्षेत्र में उत्पन्न सभी गन्ने को, जो बिक्री के लिये फैक्टरी को प्रस्तुत किया जाय, खरीदना पड़ेगा ।

(3) यदि कोई क्षेत्र किसी फैक्ट्री के लिये अभ्यर्पित क्षेत्र प्रख्यापित कर दिया गया हो तो उक्त फैक्ट्री के अध्यासी को उक्त क्षेत्र में उत्पन्न और बिक्री के लिये फैक्ट्री को प्रस्तुत गन्ने का ऐसा परिमाण जिसे गन्ना कमिश्नर निश्चित करे, खरीदना पड़ेगा ।

(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत गन्ना कमिश्नर द्वारा पारित आज्ञा की अपील राज्य सरकार के पास होगी ।

16—राज्य सरकार पूर्ति को बनाये रखने के लिये आज्ञा द्वारा ;

सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों में गन्ने की पूर्ति तथा खरीद का विनियमन

(क) किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ने के वितरण, बिक्री अथवा खरीद का; तथा

(ख) सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र से भिन्न अन्य किसी क्षेत्र में गन्ने की खरीद का विनियमन कर सकती है ।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसी आज्ञा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

1. उ० प्र० अधि० सं० 21, 1956 की धारा 3 द्वारा रखे गये ।

(क) गन्ना का परिमाण जिसे प्रत्येक गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति ऐसे क्षेत्र में फैक्टरी को देगी जो उक्त फैक्टरी के लिये सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो;

(ख) वह रीति जिसके अनुसार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ना उस फैक्टरी द्वारा, जिसके लिये उक्त क्षेत्र सुरक्षित हो अथवा अभ्यर्पित हो, खरीदा जायगा तथा वह परिस्थिति जिसमें गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति से भिन्न किसी अन्य के द्वारा गन्ना उत्पादक का गन्ना नहीं खरीदा जायगा;

(ग) उस फैक्टरी के अध्यासी अथवा प्रबन्धक द्वारा जिसके निमित्त बिक्री के लिये प्रस्तुत गन्ना खरीदने के वास्ते कोई क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित किया गया हो, निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के आकार, नियम तथा शर्तों;

¹ [(घ) परिस्थितियां जिनमें निम्नलिखित के लिये अनुज्ञा दी जा सकती है :-

(1) उस फैक्टरी से जिसके लिये क्षेत्र सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो, भिन्न किसी अन्य फैक्टरी, ²[गुड़ राब या खाण्डसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की खरीद;

(2) उस फैक्टरी से जिसके लिये क्षेत्र सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो; भिन्न किसी अन्य फैक्टरी, ²[गुड़ राब या खाण्डसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] अथवा किसी व्यक्ति के हाथ किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की बिक्री]]

(ङ) ऐसे आनुषंगिक तथा परिधामिक मामले जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक तथा वांछनीय हों।

17-3[(1) फैक्टरी का अध्यासी अपने द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का शीघ्र **गन्ना का मूल्य** भुगतान करने की ऐसी व्यवस्था करेगा जो नियत की जाय]]

(2) गन्ना पाने पर फैक्टरी का अध्यासी ऐसे दिये गये गन्ने के मूल्य व सम्बन्धित धनराशियों की तुरन्त अदायगी का उत्तरदायी होगा ⁴[x x x]।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से 15 दिन के अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे तो वह गन्ना पाने के दिनांक से 7½ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज भी देगा, किन्तु किसी भी मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश दे सकता है कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायगा जिसे वह निश्चित करे।

⁵[प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ होने के पश्चात खरीदे गये गन्ने के मूल्य की अदायगी न करने के सम्बन्ध में अंक 7½ के स्थान पर अंक 12 रखा गया समझा जायेगा]]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1964 की धारा 5(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उपर्युक्त की धारा 5(क) द्वारा निकाला गया।

5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1974 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।

(4) गन्ना कमिशनर कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण-पत्र भेज देगा जिसमें अध्यासी द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि, ब्याज के सहित यदि कोई देय हो, निर्दिष्ट होगी और ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त के प्राप्त होने पर कलेक्टर उक्त अध्यासी से प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली की कार्यवाही उसी प्रकार करेगा मानो यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।

¹[परन्तु यह कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी यह विधिमान्य होगा कि गन्ना कि गन्ना आयुक्त द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से पूर्व अथवा पश्चात्, किन्तु वसूली कार्यवाहियां पूरा किये जाने के पूर्व अथवा पश्चात्, किन्तु वसूली कार्यवाहियां पूरा किये जाने के पूर्व किसी भी समय यह पाया जाता है कि सम्बन्धित डिफाल्टर फैक्टरी के कंपनी के स्वामी ने ऐसे किसी सहायक कंपनी, एसोसियेटेड कंपनी या अन्य कंपनी को किसी विधिमान्य व्यवस्था के अधीन कोई ऋण दिया हो या विनिधान किया गया हो, जो कि चीनी विनिर्माण में संलग्न हो या संलग्न न हो और जिसको किसी संविदा के अधीन कोई धनराशि, राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा किसी निगम अथवा परिषद अथवा किन्हीं सांविधिक नियमों के अधीन गठित किसी अन्य संस्था से प्राप्त की जानी हो, राज्य सरकार गन्ना कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, ऋण या विनिधान की धनराशि अथवा शेष गन्ना बकाया धनराशि के समतुल्य धनराशि को समपहत कर सकती है और अग्रतर कार्यवाही करने हेतु गन्ना आयुक्त को आवश्यक अनुदेश दे सकती है।

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त ‘परन्तुक’ में प्रयुक्त शब्द “कम्पनी”, “सहायक कम्पनी”, या “एसोसियेटेड कम्पनी” के वही अर्थ होंगे, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) में क्रमशः उनके लिए समानुद्देशित है।]

²[5—क—पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि फैक्ट्री का स्वामी या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसका फैक्ट्री कार्यकलापों पर नियंत्रण हों अथवा तदर्थ सक्षम कोई अन्य व्यक्ति किसी बैंक के साथ कोई ऐसा अनुबन्ध करे जिसके अन्तर्गत बैंक उस फैक्ट्री में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली ³[शक्कर या इथेनॉल (सीधे गन्ने के रस या ख-भारी शीरे से उत्पादित) की प्रतिभूति पर] अग्रिम धनराशि धेने के लिये सहमत हो, तो उक्त स्वामी या अन्य व्यक्ति उस अनुबन्ध में यह व्यवस्था करेगा कि ऐसे अग्रिम का कुल धनराशि का ⁴[एक ऐसा प्रतिशत जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अवधारित किया जायेगा] अलग रख दिया जायेगा और वह केवल गन्ना उत्पादकों अथवा उनकी सहकारी समितियों से अथवा उनके माध्यम से क्रय किये गये अथवा क्रय किये जाने वाले गन्ने के मूल्य और उस पर ब्याज और उसके सम्बन्ध में ऐसी समितियों की कमीशन के प्रतिदान के लिये उपलब्ध रहेगा।

ख—उपर्युक्त प्रत्येक ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति प्रत्येक ऐसे अनुबन्ध की एक प्रति उस दिनांक से जब वह किया जाय, एक सप्ताह के भीतर कलेक्टर को भेजेगा।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 38, 2021 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 1972 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 2008 की धारा 3 द्वारा रखा गया।

4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1974 की धारा 5(ख) द्वारा रखा गया और सदैव से रखा गया समझा जाये।

¹[18—(1) किसी फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अधिभोगी द्वारा किसी फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई द्वारा क्रय किये गये प्रत्येक मन गन्ना के लिए एक अंशदान संदत्त किया जायेगा,—

गन्ना के क्रय पर
अंशदान

(क) जहां क्रय, किसी गन्ना उत्पादक—सहकारी समिति के माध्यम से किया जाय, वहां अंशदान, गन्ना उत्पादन समिति एवं परिषद् को उसकी पूँजी/निधि में ऐसे अनुपात में संदेय होगा जैसा कि राज्य सरकार घोषित करे, तथापि परिषद् को संदेय हिस्सा पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ; और

(ख) जहां क्रय, प्रत्यक्षतः गन्ना उत्पादक से किया जाय वहाँ निधि में अंशदान, परिषद् को संदेय होगा ;

किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी फैक्ट्री एवं किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के लिए अंशदान की भिन्न—भिन्न दरें, विहित की जा सकती है ;

किन्तु प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमित प्रयोजन की दृष्टि से ऐसे अंशदान का पूर्णतः या आंशिक रूप में परिहार कर सकती है ;

(2) उप—धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन संदेय अंशदान, यथाविहित रूप में अनधिक ऐसे दरो पर होगा जिस दर पर निधि में अंशदान, खण्ड (क) के अधीन परिषद् को संदेय हो;

(3) गन्ना मूल्य के लिए लागू भू—राजस्व के बकायों के रूप में वसूली सहित भुगतान, ब्याज व वसूली से संबंधित उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन अंशदान का भुगतान और उसकी वसूली के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू हो।]

19—(1) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि—

(क) विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने का कोई विभेद उक्त क्षेत्र में स्थित किसी फैक्टरी या सभी फैक्टरियों के लिये अनुपयुक्त है;

(ख) ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पन्न किसी भी विभेद का पेड़ी वाला गन्ना (Ratoon cane) उक्त क्षेत्र में स्थित किसी या सभी फैक्टरियों में प्रयोग के लिये अनुपयुक्त है; और

(ग) ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के किसानों में वितरण के लिये किसी विभेद के गन्ने का बीज अनुपयुक्त है।

(2) उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति कलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात् और पहली सितम्बर से पूर्व जारी की जायगी।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी विभेद के गन्ने का बीज जब उस क्षेत्र के किसानों में वितरण के लिए अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया जाय तो फैक्टरी का अध्यासी या उसकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विभेद अथवा ऐसे विभेदों के बीज को किसी भी व्यक्ति को, गन्ना उत्पादकों अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा किसी भी क्षेत्र में प्रयोग करने के लिये वितरित न करेगी।

(4) जब किसी भी विभेद का गन्ना अथवा पेड़ी का गन्ना फैक्टरी में प्रयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया गया हो तो ऐसी फैक्टरी का अध्यासी या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या गन्ना उत्पादक अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विभेद का गन्ना न तो बोयेगी और न ऐसे विभेद के गन्ने की पेड़ी रखेगी।

फैक्टरियों में
प्रयोगार्थ गन्ने के
विभेदों को
अनुपयुक्त
प्रख्यापित करने
का अधिकार

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 8, 2019 की धारा 2 द्वारा रखे गये।

अध्याय 4 विविध

20- 1[***]

21-(1) जब किसी ²[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी कोई फर्म अथवा ³[कम्पनी से अन्यथा] अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय समवाय (Association) हो तो उसके साझेदारों अथवा सदस्यों में से किसी एक या उससे अधिक व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन उन अपराधों में से किसी के लिए भी, जिसके लिये ²[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी दण्डनीय हो, अभियोग चलाया जा सकता है तथा उसे दण्ड दिया जा सकता है;

⁴[धारा 22 के प्रयोजनों के लिए अध्यासी का अवधारण

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फर्म अथवा समवाय (association) कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी एक सदस्य को ⁵[इस उपधारा] के प्रयोजनों के लिये ²[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा व्यक्ति तब तक ⁵[इस उपधारा] के प्रयोजनों के लिए अध्यासी समझा जायगा जब तक कि उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक फर्म अथवा समवाय में उनकी साझेदारी अथवा सदस्यता समाप्त न हो जाय।

(2) जब ²[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी कोई कम्पनी हो तो उसके किसी एक या एक से अधिक संचालक (director) पर अथवा निजी कम्पनी हो तो उसके किसी हिस्सेदार पर, किसी भी अपराध के लिये, जिसके लिए ²[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी दंडनीय हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अभियोग चलाया जा सकता है और उसे दंड दिया जा सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कम्पनी कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी संचालक को अथवा निजी कम्पनी की दशा में, किसी हिस्सेदार को इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये ⁵[इस उपधारा] का अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा संचालक अथवा हिस्सेदार ⁵[इस उपधारा] के प्रयोजनों के लिए ²[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी नामांकित किया गया है और ऐसा संचालक अथवा हिस्सेदार ⁵[इस उपधारा] के प्रयोजनों के लिये ²[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी समझा जायगा जब तक उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक उसकी संचालकता अथवा हिस्सेदारी समाप्त न हो जाय।

22-यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने नियम अथवा दी गयी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो वह कारावास के दंड का, जो 6 महीने तक हो सकता है अथवा अर्थदंड का, जो ⁶[एक लाख रुपये] से अधिक न होगा अथवा दोनों का भागी होगा और यदि ऐसा उल्लंघन करता रहे तो प्रत्येक उस दिन के लिये, जब उल्लंघन करे, वह ऐसे अधिक अर्थदंड का भागी होगा, जो ⁷[पांच हजार रुपये] से अधिक नहोगा।

शास्तियां

⁸[22-क-(1) राज्य सरकार द्वारा सामान्य रूप से मामलों के या मामलों के किसी वर्ग के संबंध में इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त निरीक्षक, जिस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग ऐसा अधिकारी करता है उसकी सीमा के भीतर, किये गये, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है।

इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का अन्वेषण करने हेतु कतिपय अधिकारियों की शक्ति

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 1956 की धारा 9(1) द्वारा निकाला गया।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 3, 1960 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1974 की धारा 6(ख) द्वारा रखे गये द्वारा रखा गया और सदैव से रखा गया समझा जायेगा।

4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1974 की धारा 6(क) द्वारा रखे गये द्वारा रखा गया और सदैव से रखा गया समझा जायेगा।

5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1974 की धारा 6(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 2021 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 33, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

8. उ० प्र० अधिनियम संख्या 34, 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ायी गयी।

(2) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय अपराध के लिए कर सकता है।

22-ख- पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग का प्रत्येक अधिकारी निरीक्षक को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी उल्लंघनों की, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सूचना देने और निरीक्षक द्वारा अनुरोध किये जाने पर इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उसे सहायता देने के लिये बाध्य होगा।

कतिपय विभागों के अधिकारियों का अपराधों की रिपोर्ट करने और निरीक्षक को सहायता देने का कर्तव्य

23-(1) इस अधिनियम के अधीन गन्ना कमिश्नर अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके अधिकार के अधीन परिवाद (complaint) किये बिना कोई अभियोग निवेशित (पदेजपजनजमक) नहीं किया जायेगा।

कार्यवाहियों का निवेशन (institution)

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर गन्ना कमिश्नर अथवा गन्ना कमिश्नर की पूर्व सहमति से जिला मजिस्ट्रेट ऐसा प्रशमन शुल्क (composition fee) लेकर, जो उस पर ऐसे अपराध के लिये लगाये जा सकने वाले अर्थ-दंड से अधिक न होगा, किसी भी स्तर पर उक्त अपराध का प्रशमन (compound) कर सकता है।

(3) कोई भी न्यायालय जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न हो, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध किसी अपराध का विचार न कर सकेगा।

24-कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 (Code of Criminal Procedure, 1898) की धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकृत और इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियम अथवा दी गई आज्ञा के अधीन किसी मामले की सुनवाई करने वाले ¹ [यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट] के लिये यह वैध होगा कि इस अधिनियम के अधीन अपराधी निर्णीत किये गये किसी व्यक्ति पर ऐसा अर्थदंड लगाये, जो ² [एक लाख रुपये] से अधिक न होगा।

मजिस्ट्रेट के विशेषाधिकार

25-(1) कोई भी वाद, अभियोग अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or other legal proceeding) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा बनाए गए किसी नियम के अनुसार सद्भावना से किए गए अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के लिए न लायी जा सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण

(2) ऐसे कार्य के कारण, जो इस अधिनियम के अधीन दी गयी आज्ञा या बनाये गये नियम के अनुसार सद्भावना से किया गया हो या जिसके करने का विचार हो, हुई क्षति या होने वाली क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य लिपिक कार्यवाही नहीं लायी जा सकेगी।

26-यू०पी० शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल ऐक्ट, 1938 (जिसे यहां पर आगे चल कर इस धारा में तथा धारा 27 में उक्त ऐक्ट के नाम से अभिदिष्ट किया गया है) एतद्वारा निवर्तित (repeal) किया जाता है :

निर्वर्तन तथा अपवाद

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 ई० की धारा 6 तथा 24 की सामान्य प्रयुक्ति (general application) को बिना बाधित किये, निवर्तित विधायनों तथा पुनर्विहित विधायनों (enactment[repealed and re-enacted) के अधीन नियुक्तियों, विज्ञापितियों, आज्ञाओं इत्यादि (appointments, notifications, orders, etc.) निवर्तन और जारी रखने के सम्बन्ध में यह निवर्तन निम्नलिखित पर विपरीत प्रभाव न डालेगा और न अन्य प्रकार से उन्हें प्रभावित करेगा :-

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 33, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 2021 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) उक्त ऐक्ट द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी तामील किए गए नोटिस, दी गई आज्ञा अथवा दिए गए अनुज्ञापत्र लाइसेंस अथवा स्वीकृति के व्यापार ;

(ख) उक्त ऐक्ट के अधीन उसके निवर्तन के पूर्व निर्धारित या लगाये गये किसी अबवाब, कर, शुल्क या अन्य शास्ति की अथवा उसके निवर्तन से पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में किसी अबवाब, कर, शुल्क या शास्ति की निर्धारित या लगाने के अधिकार की या उसके अधीन की गयी किसी बात या किसी ऐसे बात की, जिसके करने की अनुज्ञा हो, अविकल वैधता और उक्त अबवाब, कर, शुल्क या शास्ति निर्धारित की या लगायी जा सकती है और उक्त कोई बात की जा सकती है मानो उक्त ऐक्ट निवर्तित नहीं किया गया हो ;

(ग) उक्त ऐक्ट के अधीन संगठित बोर्ड या केन डेवलपमेंट काँसिल का जारी रहना और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन या इसके अनुसार इस प्रकार का बोर्ड या परिषद् संगठित न हो जाय, उक्त बोर्ड या केन डेवलपमेंट काँसिल इस अधिनियम के अधीन उक्त बोर्ड या परिषद् द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले अधिकार, पालन किये जाने वाले कर्तव्य और किये जाने वाले कार्यों का पालन, प्रयोग तथा संपादन करेंगे और

(घ) उक्त ऐक्ट के अधीन अथवा द्वारा प्राप्त किसी उन्मुक्ति, मुक्ति अथवा रक्षा का जारी रहना:

प्रतिबन्ध यह भी है कि उक्त ऐक्ट के अधीन सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित रूप से प्रख्यापित कोई क्षेत्र, इस अधिनियम के अधीन जब तक कोई विपरीत आदेश न दिया जाय अथवा कोई ऐसी बात न की जाय या ऐसा कार्य न किया जाय जिससे वह अधिक्रान्त हो जाय, उसी प्रकार जारी रहेगा मानो यह अधिनियम के अधीन प्रख्यापित किया गया हो।

27—उक्त ऐक्ट से इस अधिनियम में संक्रमण सम्बन्धी उपबन्धों के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

**संक्रमण
सम्बन्धी उपबन्ध**

(क) आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम उस अवधि के भीतर, जो कि आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, उन अनुकूलनों के अधीन प्रभावशाली होगा जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा परित्याग के रूप में आवश्यक अथवा अपयुक्त समझे जायें; तथा

(ख) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अन्य ऐसी अस्थायी व्यवस्था कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के आरम्भ के बारह मास के पश्चात् कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी जायगी।

28—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यन्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

**नियम बनाने
का अधिकार**

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है—

(क) 1[परिषद्] की संस्थापना तथा संगठन:

(ख) 1[परिषदों] का विघटन तथा पुनःसंगठन तथा अन्य आनुषंगिक विषय:

(ग) 1[परिषद्] के सदस्यों को हटाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया:

(घ) 1[परिषद्] द्वारा कार्य के परिचालन की व्यवस्था ;

(ड.) धारा 6 के अधीन परिषद् की वार्षिक बैठक बुलाने की रीति, उस बैठक में किया जाने वाला कार्य और उसके करने की रीति ;

(घ) रीति तथा रूप जिस प्रकार धारा 8 के अधीन परिषद् के अधीनस्थ निधि रखी जायगी तथा ऐसी निधि का प्रयोग तथा उससे अदायगी ;

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ¹[परिषदों] को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेश ;

(ज) चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर के कर्तव्य, अधिकार तथा कार्य;

(झ) धारा 11 के अधीन नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवाओं की अन्य शर्तों से सम्बद्ध विषय तथा उनके कर्तव्य, अधिकार और कार्य ;

(ञ) अवधि, जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन उन मामलों में प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जायें, जिनके विषय में यहां पर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गयी हो ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों तथा अपीलों के संबंध में दिया जाने वाला शुल्क ;

(ठ) ²[***]

(ड) इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा अथवा उसके अधीन किए जाने वाले अनुबन्ध (agreement) का आकार-पत्र तथा अनुबन्ध की शर्तें तोड़ने पर शास्ति (penalty);

³[(ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये परिषदों का संगठन, संचालन, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा तथा उनके कर्मचारियों एवं वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण यू०पी० केन यूनियन फेडरेशन तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों की मान्यता के संबंध में शर्तें]

(ण) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा गन्ना दिये जाने पर वह दर और रीति, जिस पर और जिसके अनुसार उक्त समिति को कमीशन दिया जायेगा

(त) गन्ने की ठीक तौलाई तथा तौलाई के लिये सुविधाओं तथा तौलाई की जांच और तौलाई के समय के संबंध में व्यवस्था

(थ) फैक्टरियों को आने वाले मार्गों तथा गन्ना लाने वाली गाड़ियों के रुकने के स्थान के लिये तथा गाड़ीवानों और बैलों के लिये। लिये छाया, स्थान तथा बैलों के लिये नांदों और संबद्ध विषयों की व्यवस्था ;

(द) उन झगड़ों के संबंध में—

(1) ⁴[जो गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के कार्य के विषय में संस्था और फैक्टरी या गन्ना उत्पादक और फैक्टरी के बीच में हो ;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 17, 2006 की धारा 4 द्वारा शब्द “बोर्ड” निकाल दिया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1974 की धारा 7 द्वारा निकाला गया।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 1966 की धारा 134 (5) (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 1966 की धारा 134 (5) (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जो संस्था या फैक्टरी द्वारा परिषद् के प्रति अंशदान की अदायगी के संबंध में परिषद् और गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों अथवा परिषद् और फैक्टरी अथवा परिषद् तथा गन्ना उत्पादक के बीच हों तथा अन्य किसी झगड़े के विषय में जो परिषद् के कार्य से सम्बद्ध हों;

गन्ना कमिश्नर के निर्णय के लिये या यदि वह आदेश दे तो मध्यस्थ निर्णय के लिये गन्ना कमिश्नर को भेजा गया अभिदेश, मध्यस्थों की नियुक्ति का प्रकार, गन्ना कमिश्नर अथवा मध्यस्थ के यहां अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया एवं गन्ना कमिश्नर अथवा मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय को कार्यान्वित करना ;

(ध) विवरणों, नक्शों और रजिस्टरों तथा अन्य आकार-पत्रों का आकार-प्रकार, जिनका इस अधिनियम द्वारा अथवा इसको रखना अपेक्षित हो तथा ऐसे नक्शों, विवरणों और आकार पत्रों की खाना पूरी करना ;

(न) इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रार्थना-पत्र का आकार तथा रीति जिसके अनुसार वे दिये जायेंगे ;

(प) इस अधिनियम के अधीन अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया ; और

(फ) विषय, जिन्हें नियत करना है और जो नियत किये जायं ।

(3) इस धारा के अनुसार बने नियम राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिनांक से लागू होंगे ।

(4) लागू होने के तुरन्त पश्चात् ही होने वाले विधानमंडल के अधिवेशन में उपयुक्त सभी नियम प्रस्तुत किए जायेंगे और किसी नियम अथवा नियमों के विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत, संशोधित अथवा बढ़ाये जाने पर लागू नियमावली को तदनुसार संशोधित कर दिया जायगा ।